

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/निदे० छात्रावास(नि०)०३-७०-०३/२०१७

(राज्य स्कीम)

प्रेषक,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

३१

पटना, दिनांक- ०३/११/१७

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१७-१८ में अनुसूचित जाति के लिए १०० आसन का ५ (पाँच) एवं २०० आसन का ६ (छः) कुल-११ छात्रावास भवनों (परिशिष्ट-१) तथा अनुसूचित जन जाति के लिए १०० आसन का ४ (चार) (परिशिष्ट-२) छात्रावास भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार १०० आसन वाले प्रति छात्रावास ₹३४५.६१ लाख और २०० आसन वाले प्रति छात्रावास ₹६२६.५९ लाख की दर से अनुसूचित जाति के लिए कुल-₹५४८७.६० लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल-₹१३८२.४४ लाख अर्थात् कुल-₹६८७०.०४ लाख (अड़सठ करोड़ सतर लाख चार हजार रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१७-१८ में अनुसूचित जाति के लिए ₹१६४६.२८ लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹४१४.७३ लाख अर्थात् कुल ₹२०६१.०१ लाख (बीस करोड़ एकसठ लाख एक हजार रूपया) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत।

२- (i) वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१७-१८ में अनुसूचित जाति के लिए १०० आसन का ५ (पाँच) एवं २०० आसन का ६ (छः) कुल-११ छात्रावास भवनों (परिशिष्ट-१) तथा अनुसूचित जन जाति के लिए १०० आसन का ४ (चार) (परिशिष्ट-२) छात्रावास भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(ii) १०० आसन वाले प्रति छात्रावास ₹३४५.६१ लाख और २०० आसन वाले प्रति छात्रावास ₹६२६.५९ लाख की दर से अनुसूचित जाति के लिए कुल-₹५४८७.६० लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल-₹१३८२.४४ लाख अर्थात् कुल-₹६८७०.०४ लाख (अड़सठ करोड़ सतर लाख चार हजार रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१७-१८ में अनुसूचित जाति के लिए ₹१६४६.२८ लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹४१४.७३ लाख अर्थात् कुल ₹२०६१.०१ लाख (बीस करोड़ एकसठ लाख एक हजार रूपया) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(iii) छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी जाती है।

(iv) प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

३- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावासों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के द्वारा कराने की स्वीकृति दी जाती है।

४- इस योजना के लिए राज्य स्कीम मद के भवन निर्माण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्राक्कलित राशि से व्यय किया जायेगा :-

(क) अनुसूचित जाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ मुख्य बजट शीर्ष-४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्यशीर्ष-०१-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष ७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-०१०१- अनुसूचित जाति के भवन-विषय शीर्ष-०१०१.५३.०१ मुख्य निर्माण कार्य- विपत्र कोड-०३-४०५९०१७८९०१०१ के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ख) अनुसूचित जनजाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ मुख्य बजट शीर्ष-४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-०१-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष ७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उपशीर्ष-०१०४- अनुसूचित जनजाति के भवन- विषय शीर्ष-०१०४.५३.०१ मुख्य निर्माण कार्य- विपत्र कोड-०३-४०५९०१७९६०१०४ लिए के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6- इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना के पी० एल० ए० खाता संख्या-238 में स्थानान्तरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे एवं इसकी सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

7- छात्रावास भवनों के निर्माण का परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत किया जायेगा। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक-1802(अनु०) दिनांक-19.06.17 द्वारा भेजे गये अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार 100 आसन वाले प्रति छात्रावास ₹345.61 लाख और 200 आसन वाले प्रति छात्रावास ₹626.59 लाख की दर से कराया जायेगा। इस योजना का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार करने वाले एजेन्सी का दायित्व होगा कि निर्माण कार्य, फर्निशिंग एवं अनुरक्षण गुणवत्तापूर्ण हो, योजना का मासिक अनुश्रवण विभाग के स्तर पर किया जायेगा। मॉडल प्राक्कलन में 5 वर्षों का रख-रखाव तथा फर्निशिंग भी शामिल है। इस परियोजना में 100 एवं 200 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास भवन के अंतर्गत भोजनालय लाईब्रेरी, कम्प्यूटर कक्ष, एवं अधीक्षक आवास का निर्माण कराया जायेगा।

8- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेगे।


9- इस प्रस्ताव पर मंत्रि परिषद् की बैठक दिनांक-18.10.17 में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

10- इस प्रस्ताव पर संचिका सं०-3/निदे० छात्रावास(नि०)03-70-03/2017 के पृ०- टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

11 - इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

12 - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे० छात्रावास(नि०)03-70-03/2017 31 पटना, दिनांक- 03.11.17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय
विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना /अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-1


100 एवं 200 आसन वाले अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों के निर्माण की सूची

| क्र० सं० | आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता | भूमि की उपलब्धता | प्राक्कलित राशि | अभ्युक्ति |
|----------|--|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास कतीरा, भोजपुर, आरा के परिसर में 200 आसन के छात्रावास का निर्माण | 2 एकड़ | ₹626.59 लाख | अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। |
| 2 | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास मौलाबाग, भोजपुर, आरा के परिसर में 100 आसन के छात्रावास का निर्माण | लगभग 1 एकड़ | ₹345.61 लाख | पुराना भवन जर्जर है। मरम्मत योग्य नहीं है। नये भवन का निर्माण कराया जा रहा है। |
| 3 | बक्सर में 200 आसन वाले राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास का नया निर्माण | 2.07 एकड़ अचल-बक्सर, मौजा बक्सर नगरपालिका वार्ड नं०-11/34 थाना नं०-332 खाता नं०-292 | ₹626.59 लाख | पूर्व से 50 आसन का छात्रावास स्वीकृत है। जिसमें लगभग 203 छात्र आवासीत है। |
| 4 | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास जहानाबाद के परिसर में 200 आसन के छात्रावास का निर्माण | 2 एकड़ | ₹626.59 लाख | अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। |
| 5 | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास काशीपुर रामरतीपुर परिसर में 200 आसन के छात्रावास का निर्माण | 2.5 एकड़ | ₹626.59 लाख | अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। |
| 6 | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास नवादा में 100 आसन के छात्रावास का निर्माण | 1 एकड़ | ₹345.61 लाख | अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। |
| 7 | टी० पी० कॉलेज, मधेपुरा के परिसर में 100 आसन वाले राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास के छात्रावास का निर्माण | 3.00 एकड़ | ₹345.61 लाख | अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। |
| 8 | राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास अचल- शेखपुरा जिला-शेखपुरा के मौजा-मकदुमपुर, थाना नं०-174 खाता नं०-04 खेसरा नं०-218 में 100 आसन के छात्रावास का निर्माण | 1.02 एकड़ | ₹345.61 लाख | नये छात्रावास भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। |
| 9 | राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान सिपाया प्रखण्ड-कुचायकोट जिला-गोपालगंज के मौजा-सिपाया, थाना नं०-741 खाता नं०-03 खेसरा नं०-1325 में 200 आसन के राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास का निर्माण | 1.10 एकड़ | ₹626.59 लाख | नये छात्रावास भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। राजकीय पॉलिटेकनिक, गोपालगंज में 162 अनु०जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र आवासीत है। |
| 10 | सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लारिटक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर के परिसर में 200 आसन के डा० भीम राव अम्बेदकर कल्याण छात्रावास (जिला-वैशाली)का निर्माण | सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लारिटक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर के परिसर में | ₹626.59 लाख | नये छात्रावास भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। |
| 11 | हरि प्रसाद साह महाविद्यालय, निर्मली जिला-सुपौल के परिसर में 100 आसन वाले राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास का निर्माण | 1.00 एकड़ | ₹345.61 लाख | नये छात्रावास भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। |

पत्रांक- 81

दिनांक- 03.11.17

का अनुलग्नक


सरकार के सचिव

परिशिष्ट-2

100 आसन वाले अनुसूचित जनजाति छात्रावास के भवनों के निर्माण की सूची

| क्र० सं० | आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता | भूमि की उपलब्धता | प्राक्कलित राशि | अभ्युक्ति |
|----------|---|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ठककरबापा कल्याण छात्रावास, गुजफरपुर के परिसर में 100 आसन वाले अनुसूचित जनजाति बालक कल्याण छात्रावास निर्माण | 2 एकड़ | ₹345.61 लाख | विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जनजाति के लगभग 85 छात्र आवासित हैं। जो ठककरबापा कल्याण छात्रावास के दो कमरों में रहते हैं। |
| 2 | युगल शाह जनजाति बालिका उच्च विद्यालय, हरनाटाड़, बगहा-02 के परिसर में 100 आसन वाले अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण | 1920 वर्ग मी० | ₹345.61 लाख | विद्यालय परिसर में 100 आसन वाले बालिका छात्रावास की आवश्यकता है। |
| 3 | आदर्श मध्य विद्यालय, कटोरिया बांका के परिसर में 100 आसन वाले अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कटोरिया बांका का निर्माण | 2600 वर्ग फीट | ₹345.61 लाख | जनजातीय बाहुल्य प्रखण्ड में 100 आसन वाले बालक छात्रावास की आवश्यकता है। |
| 4 | राजकीय अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास (बैधनाथ छात्रावास के परिसर में) पूर्णियां में 100 आसन वाले नये छात्रावास का निर्माण | बैधनाथ छात्रावास पूर्णियां के परिसर में | ₹345.61 लाख | जनजाति के लिए 100 आसन वाले बालक छात्रावास की आवश्यकता है। |

पत्रांक-- 81

दिनांक-- 03.11.17

का अनुलग्नक


सरकार के सचिव